



कार्यालय प्राचार्य, राजकीय शाकम्बर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(साँभर लेक, जिला जयपुर - राजस्थान)

पता : फुलेरा रोड, साँभर लेक - 303604 (जिला - जयपुर), राजस्थान

website ; <http://hte.rajasthan.gov.in>

15\*

ई - मेल : [gcslake\\_raj24@yahoo.com](mailto:gcslake_raj24@yahoo.com)  
[gcslake@gmail.com](mailto:gcslake@gmail.com)

यू.जी.सी.



टेलीफोन न. : 01425-228407  
कॉलेज कोड : 304010

क्रमांक :- रामसा/स्थापना/2023/

दिनांक :-

### आवश्यक सूचना

### (स्नातक प्रथम प्रवेश स्वयंपाठी विद्यार्थियों के नियमित प्रवेश हेतु)

विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण की है। उनका महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध कॉलेज शिक्षा विभाग प्रवेश नीति 2023 के अनुसार नियमित विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है। अतः ऐसे इच्छुक एवं योग्य विद्यार्थी अपने ऑफलाईन आवेदन पत्र (CAF) पूर्णरूपेण भरकर उसमें वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों संलग्न कर अन्तिम तिथि दिनांक 20.09.2023 (बुधवार) तक संबंधित प्रवेश समिति से योग्यता की जाँच कराकर श्री मुकेश कुमार बैरवा, प्रभारी अकादमिक शाखा (कक्ष संख्या 12) में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अन्तिम तिथि उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

स्नातक द्वितीय वर्ष कला

1. डॉ. महादेव सिंह, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र
2. श्रीमती सुमन कुमारी, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र  
स्नातक द्वितीय वर्ष वाणिज्य
- 1 डॉ. पूजा पारीक, सहायक आचार्य इ.ए.एफ.एम.
- 2 डॉ. ममता मीणा, सहायक आचार्य एवीएसटी  
स्नातक द्वितीय वर्ष विज्ञान
- 1 श्रीमति सुनिता कुमारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र
- 2 डॉ. मधु कुमारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र
- 3 श्री पवन कासोटियों, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र

डॉ. महेश कुमार पालीवाल  
नोडल अधिकारी (स्नातकप्रवेश)

(केप्टन डॉ. ज्ञान प्रकाश दायमा)  
प्राचार्य

राजकीय शाकम्बर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साँभर लेक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. छात्र नोटिस बोर्ड।
2. छात्रा नोटिस बोर्ड।
3. सार्वजनिक नोटिस बोर्ड (उपखण्ड कार्यालय, पचायत समिति कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय नोटस बोर्ड)
4. प्रभारी महाविद्यालयवेब वेज पोर्टल।
5. रक्षित/आदेश पत्रावली।

